न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

पुरुषोत्तमदास पुत्र गोपालदास
जाति संत नि. आनीमाना

तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

हीरदास पुत्र गोपालदास
जाति संत नि. आनीमाना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री पुरुषोत्तमदास स्वंय वादी।
2. श्री प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 12-10-2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 300, 302 कुल रकबा 45-18 बीघा, सरहद मौजा आनीमाना तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम परसाराम होने से राजस्व रेकर्ड में परसाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 300275665265 जन आधार कार्ड संख्या × मतदाता परिचय पत्र संख्या एसएसबी / × राशन कार्ड संख्या [illegible] आनीमाना के ह. नं. 48,106 के पुरुषोत्तमदास दर्ज है। वादी को [illegible] बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज परसाराम के स्थान पर पुरुषोत्तमदास सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ....परसाराम.......... के स्थान पर ....पुरुषोत्तम दास........ दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ....तहसीलदार, पचपदरा तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ....300, 302 कुल.... रकबा ....45-18.... बीघा, सरहद मौजा जानीयाना तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ....परसाराम.... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ....पचपदरा.... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ....परसाराम.... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ....पुरुषोत्तमदास.... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ....300, 302.... रकबा ....45-18.... बीघा, सरहद मौजा ....जानीयाना.... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....परसाराम.... पुत्र ....गोपालराम.... के स्थान पर ....पुरुषोत्तम दास.... पुत्र ....गोपालराम.... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ....12-10.2021.... **को कोर्ट केम्प कोर्ट** ....जानीयाना.... **में मजमे आम में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:31 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) पचपदरा

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, फार्म 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeiz "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट.....जाखिमाना

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण	प्रतिवादीगण
पुरुषोत्तमदास पुत्र गोपालदास जाति स्वंत निo जाखिमाना तहसील पचपदरा जिला बाडमेर	हीरदास पुत्र गोपालदास स्वंत नि. जाखिमाना राजस्थान सरकार जरिये भू -धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री पुरुषोत्तम दास ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री मूलाराम देवासी परोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ....300, 302 कुल.रकबा ....45.10.............. बीघा, सरहद मौजा जाखिमाना .... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....परसाराम..........पुत्र गोपालदास .... के स्थान पर पुरुषोत्तम दास पुत्र गोपालदास खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12-10-2021 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner